संख्याः 404 /XXXVI(1)/2013–75/2007 टी0सी0

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री महेन्द्र सिंह पाल,
कटयुरे हाउस, अपर मॉल रोड,
तल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

2. श्री अविरल सक्सेना,
हाउस नं0 626, भूतल, सेक्टर 37,
नोयडा।

3. श्री अरूण प्रताप शाह,
बी0 173 स्वर्ण नगरी,
ग्रेटर नोयडा।

देहरादून : दिनांक 30 जनवरी, 2014

न्याय अनुभागः1

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु स्थायी अधिवक्ता के पद पर आबद्ध किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आपको **स्थायी अधिवक्ता** के पद पर आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को शासन द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है और आप भी इस आबन्धन को समाप्त कर सकते है।

2– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–123/XXXVI(1)/2010–43–एक(1)/03 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 404 (1)/XXXVI(1)/2013–75/2007 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।
4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– ईरला चैक अनुभाग/वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

C:\Users\law\Desktop\Dgc apointment\dgc letter.docx